

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के सगढ़ भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2008—ज्येष्ठ 2, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक 5099/डी.141/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-05-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण को जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, अतिरिक्त सचिव.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2008)

## छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.
- (2) इसका सम्पूर्ण विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 13 का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 13 की उपधारा (4) के खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय :—

“परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”

- (2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (5) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (3) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (4) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय :—

“परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”

धारा 17 का संशोधन.

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

“परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”

- (3) मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक में शब्द “परंतु” के पश्चात् शब्द “यह और कि” अंतःस्थापित किया जाए.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 23 का संशोधन.  
अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”
- (2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (3) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (4) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”
5. (1) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए. धारा 25 का संशोधन.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :-
- “परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”
6. (1) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 30 का संशोधन.  
अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”
- (2) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) के खण्ड (दो) के प्रथम परंतुक में शब्द “परंतु” के पश्चात्, “यह और कि” अंतःस्थापित किया जाए.
- (3) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (4) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (4) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (5) में शब्द “एक तिहाई” के स्थान पर, शब्द “आधे” प्रतिस्थापित किया जाए.
- (5) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
- “परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”

- धारा 32 का संशोधन. 7. (1) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में शब्द "एक तिहाई" के स्थान पर, शब्द "आधे" प्रतिस्थापित किया जाए.
- (2) मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—
- “परंतु, पंचायत की क्रमवर्ती दो सामान्य निर्वाचन की अवधि एक चक्रानुक्रम में होगी.”
- धारा 36 का संशोधन. 8. (1) मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) तथा खण्ड (ड) का लोप किया जाय.
- धारा 61-क का संशोधन. 9. (1) मूल अधिनियम की धारा 61-क के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :—
- “परंतु, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 के अंतर्गत अधिसूचित नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में, इस अध्याय के प्रावधान लागू नहीं होंगे.”
- धारा 65 का संशोधन. 10. (1) मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) में शब्द “पांच वर्ष” के स्थान पर, शब्द “सात वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाय.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2008

क्रमांक 5099/डी. 141/21-अ/प्रा./छ. ग./08.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विमला सिंह कपूर, अतिरिक्त सचिव.

**CHHATTISGARH ACT**  
(No. 13 of 2008)

**CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ACT, 2008**

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993  
(No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-ninth year of the Republic of  
India, as follows :—

Short title, extend  
and Commence-  
ment.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sansodhan) Adhiniyam, 2008.
- (2) It extends to the whole of State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

- (1) After clause (ii) of sub-section (4) of section 13 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 of 1994) (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam) the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation.”

- (2) In sub-section (5) of section 13 of the Principal Adhiniyam, for the words “one third” the word “half” shall be substituted.
- (3) In sub-section (6) of section 13 of the Principal Adhiniyam, for the words “one third” the word “half” shall be substituted.
- (4) After sub-section (6) of section 13 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation.”

- (1) In sub-section (3) of section 17 of the Principal Adhiniyam, for the words “one third” the word “half” shall be substituted. Amendment of section 17.
- (2) After sub-section (4) of section 17 of the Principal Adhiniyam the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation.”

- (3) After the word “Provided” in the first proviso to sub-section (4) of section 17 of the Principal Adhiniyam the word “further” shall be inserted.

- (1) After clause (ii) of sub-section (3) of section 23 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :— Amendment of section 23.

“Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation.”

- (2) In sub-section (4) of section 23 of the Principal Adhiniyam, for the words “one third” the word “half” shall be substituted.
- (3) In sub-section (5) of section 23 of the Principal Adhiniyam, for the words “one third” the word “half” shall be substituted.
- (4) After sub-section (5) of section 23 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation.”

- (1) In clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Principal Adhiniyam, for the words “one third” the word “half” shall be substituted. Amendment of section 25.
- (2) After clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—

“Provided that the term of consecutive two general elections of panchayat shall constitute one rotation.”

- |                            |    |     |     |  |
|----------------------------|----|-----|-----|--|
| Amendment<br>section 30.   | of | 6.  | (1) | After clause (ii) of sub-section (3) of section 30 of the Principal Adhiniyam the following shall be inserted, namely :—<br><br>“Provided that the term of consecutive two general elections panchayat shall constitute one rotation.”   |
|                            |    |     | (2) | After the word “provoded” in the first proviso to clause (ii) of sub-section (3) of section 30 of the Principal Adhiniyam, the word “further” shall be inserted.   |
|                            |    |     | (3) | In sub-section (4) of section 30 of the Principal Adhiniyam, for the word “one third” the word “half” shall be substituted.  |
|                            |    |     | (4) | In sub-section (5) of section 30 of the Principal Adhiniyam, for the word “one third” the word “half” shall be substituted.  |
|                            |    |     | (5) | After sub-section (5) of section 30 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—<br><br>“Provided that the term of consecutive two general elections panchayat shall constitute one rotation.”   |
| Amendment<br>section 32.   | of | 7.  | (1) | In clause (b) of sub-section (2) of section 32 of the Principal Adhiniyam, the words “one third” the word “half” shall be substituted.   |
|                            |    |     | (2) | After sub-clause (b) of clause (i) of sub-section (2) of section 32 of the Principal Adhiniyam, the following shall be inserted, namely :—<br><br>“Provided that the term of consecutive two general elections panchayat shall constitute one rotation.”   |
| Amendment<br>section 36.   | of | 8.  | (1) | Clause-s (h) and (m) of sub-section (1) of section 36 of the Principal Adhiniyam shall be omitted.   |
| Amendment<br>section 61-A. | of | 9.  | (1) | After section 61-A of the Principal Adhiniyam, the following proviso shall be inserted, namely :—<br><br>“Provided that provisions of this Chapter shall not apply to the areas falling under the jurisdiction of Naya Raipur Development Authority notified under section 64 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivartan Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).” |
| Amendment<br>section 65.   | of | 10. | (1) | In sub-section (1) of section 65 of the Principal Adhiniyam, for the word “five years” the words “seven years” shall be substituted.   |